भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 137B/2016-17

डुडु नायक **बनाम** सुदर्शन नायक

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
9.10.17		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 15 दिनांक 06.01.17 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 137 B/2016–17 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता डुडु नायक, पिता–मुचीराम नायक, ग्राम–रघुनाथपुर थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ ने गृह मरम्मति हेतु क्रेता सुदर्शन नायक, पिता–जीतु नायक, ग्राम–गोविन्दपुर, थाना–सरायकेला जिला–सरायकेला–खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
गोविन्दुपर	266	240	381/A	0.02 ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के नाना लुकु नायक एवं अन्य के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते हैं। आवेदक के हिस्से में 2.2775 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.02 ए0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.2575 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'भुईया' जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.02ए0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

9/10/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।